राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 53/2015

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भंवरलाल पुत्र स्व हरजीराम जाति खटीक निवासी–बावड़ी तहसील–बावड़ी जिला–जोधपुर।		1. मिश्रीलाल 2. बंशीलाल 3. जवरीलाल 4. ओम प्रकाश 5. सोहनलाल समस्त पुत्रान स्व. हरजीराम जी समस्त जातियान–खटीक निवासीगण–बावड़ी तहसील–बावड़ी जिला–जोधपुर 6. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बावड़ी जिला–जोधपुर।

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1 श्री पी. डी. वैष्णव अधिवक्ता–वादी

2 श्री बाबुलाल विश्नोई, ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता–प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः– 28-10-2020

वाद वादी का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय हाजा में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटी एक्ट के जरिये वादी अधिवक्ता दायर किया गया। उक्त वाद में प्रतिवादी से जवाब मंगवाया गया। वाद में दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि वाद ग्रस्त आराजी ग्राम बावड़ी के खसरा नं. 1857, 1858, 2004, 2090, 2097, 2013, 2083, 2084, 2014/2 पर सामलाती कास्त है तथा 53 का दावा है। वाद में शामिल मिसल [illegible] प्रदर्श ए 1 पर हस्ताक्षर दबाव में करवाये है। बेचान नामा रजिस्टर्ड है जो इसमें निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:39:12 IST
Reason: SelfAttested

तनकी द्वितीय में मारपीट, पाबन्दी एवं जे.सी. को साबित किया गया। इसकी तृतीय में ए 1 प्रदर्श में दस्तावेज पर वादी के हस्ताक्षर का दुरूपयोग का कथन किया गया।

तनकी पंचम में टी.सी. में जन्म तारीख पर आधारित है यह वादी के पिता ने लिखवायी जो गलत है यह प्रतिवादी के बयान से साबित होता है।

तनकी छः में लिखित बंटवाड़ा अपंजीकृत है। उक्त वाद में 7 तनकियात बनाई गई तथा 5 गवाह करवाये गये।

वादी अधिवक्ता ने कथन किया कि भंवर लाल जमीन खरीद के समय स्व अर्जित आय से जमीन खरीदी थी इसका खण्डन नहीं हुआ है।

प्रतिवादी सं. 2 के अलावा सभी की सहमती थी अतः साक्ष्य में नहीं आये बंशीलाल डीडब्ल्यू–1 के बयान करवाये गये। प्रदर्श डीडब्ल्यू–3 में कथन किया गया कि भंवरलाल मुझसे बड़े है। भंवरलाल रंग मेहन्दी/खेती का काम करता था। वादी के पक्ष में सारे बयान है। प्रदर्श ए 1 अनरजिस्ट्रड है जो ग्राह्य नहीं है, न ही देखा जा सकता । इसके सम्बन्ध में एक निर्णय (रजि. अधि. धारा–35 का) पेश किया वादी अधिवक्ता ने सार में बताया कि वादी बालिग था एवं मजदूरी करता था।

प्रतिवादी ने बहस में अपना पक्ष रखा कि वादी ने वाद में प्रतिवादी का पजेशन 'एडमीट' कर रहा है। वादी ने डॉक्यूमेन्ट साइन किये है। स्टाम्प पेपर साइन किया है। इसके विपरीत कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया इसलिए ये भी एडमीशन है।

जब यह प्रोपर्टी खरीदी थी तब उनके पिताजी हरजीलाल जीवित थे। उन्होंने खरीदी थी। हरजीराम के फौत होने पर भाइयों ने पारिवारिक सेन्टलमेंट किया काउन्टर क्लेम लगाया है इसका जवाब नहीं दिया है। जवाब को रिकोर्ड पर लेने के आदेश नहीं दिये अतः जवाब काउण्टर क्लैम को डी पार्ट में रखा जावे। तनकी संख्या 3 को वादी ने साबित नहीं किया है। साक्ष्य नहीं है।

तनकी संख्या 4 में प्रदर्श ए–2 में कक्षा 7 पास की टी.सी. में भंवरलाल की जन्म तिथि 14.11.1958 है तथा 10.07.1975 तक इस स्कूल में पढ़ाई की। 19.06.1975 को रजिस्टर्ड हुआ डॉक्यूमेंट में जिसे स्व अर्जित मान रहे है। जबकि वादी 10.07.1975 को विद्यालय में नियमित विद्यार्थी था।

ग्राउन्ड ऑफ प्लेन्ट – स्वयं अर्जित की थी जबकि टी.सी. में साफ लिखा है। तनकी–4 को प्रतिवादी ने प्रमाणित किया है जबकि ये वादी के जिम्मे था। तनकी–5 में वादी की जन्म तिथि 14.11.1958 टी.सी. से [illegible] गई है तथा सेल डीड 18.06.1975 को हुई तब वादी नाबालिग होने [illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:12 IST
Reason: SelfAttested

बंटवारे के लिखत 18.07.1994 को जिसे आनन्दी लाल ने लिखा। लिखत बिना किसी भय या डर के हुई।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

शराब की दुकानें 1981 से 1985 तक रही जबकि सेल डीड 1975 की है। जन्मतिथि हेतु प्रदर्श टी.सी. भी स्वयं वादी ने पेश की है। प्रदर्श ए–1 पर वादी भंवरलाल ने अपने हस्ताक्षर बताये है। हस्ताक्षर बटवाड़े का कहकर करवाये थें प्रदर्श ए–1 पर गवाह के हस्ताक्षर को वादी पहचानता है। एन–ओ को नहीं।

वादी ने ही बताया की जमीन खुद की आय से खरीदी। गवाह वादी का है तथा कब्जा प्रतिवादी का बता रहा है।

तमाम गवाहों से, जन्मतिथि से, कब्जे से, स्वयं की जमीन की खरीद, सभी प्रतिवादी के हक में साबित है।

तनकी सं. 1 वाद पत्र में पद संख्या 2 में वर्णित अनुसार बाई मिन्टस एण्ड बाउण्डस रास्ता रखते हुए बटवाड़ा करवाने बाबत थी जो वादी के जिम्मे थी जिसे वादी सिद्ध नहीं कर पाया।

तनकी सं. 2 में स्थायी निषेधाया प्रात करने का अधिकारी वादी है। जबकि वादी इसे सिद्ध नहीं कर पाया।

तनकी सं. 3 में प्रतिवादी गण द्वारा वादी पर दबाव देकर वादी की इच्छा के विरूद्ध खाली कागजों, स्टाम्प पपरों पर हस्ताक्षर करवाये गये जिसे साबित करना वादी के जिम्मे था जिसे साबित करने वे नाकामयाब रहा।

तनकी सं. 4 वादी द्वारा स्वयं अर्जित आय से खसरा नं. 1857 व 1858 खरीद किया गया जिसे साबित करना वादी के जिम्मे था जिसे वादी साबित नहीं कर पाया।

तनकी सं. 5 में वादी की जन्मतिथि एवं उसके नाबालिग होने बाबत प्रतिवादी को साबित करना था। जिसे उसने साबित किया।

तनकी सं 6 में बंटवारे की लिखत दिनांक 18.07.1994 को सभी भाइयों की राय से लिखी गयी पारिवारिक बंटवाड़े पर भंवरलाल व प्रतिवादी गण ने हस्ताक्षर किये जिसे साबित करना प्रतिवादी के जिम्मे था तथा उसने साबित किया।

तनकी सं. 7 में काउटर क्लेम के पैरा सं. 1 में वर्णित भूमि का बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है जो प्रतिवादी के जिम्मे था जिसे उन्होंने साबित किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:12 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी गयी एवं बहस पर मनन किया गया।

आदेश

प्रतिवादीगण की और से पेश काउण्टर क्लैम को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ग्राम बावड़ी, तहसील बावड़ी में कुल 90 बीघा 01 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा इस प्रकार किया जाता है कि वादी भंवरलाल के हिस्से खसरा नं

(2090)
2080 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 2097 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा कुल खसरा नं. 2 कुल रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं. एक मिश्रीलाल एवं प्रतिवादी सं. 3 जवरी लाल को खसरा नं. 2013 रकबा 7 बीघा 7 बिस्वा खसरा नं. 2083 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 2084 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा खसरा नं. 2014/2 रकबा 2 बिस्वा कुल खसरा 4 कुल रकबा 29 बीघा में से मिश्रीलाल को 15 बीघा 5 बिस्वा भूमि व जंवरी लाल को 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि, प्रतिवादी सं. 2 बंशीलाल को खसरा नं 2004 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा भूमि तथा प्रतिवादी सं. 4 ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं. 5 सोहनलाल को क्रमशः खसरा नं. 1857 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 1858 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 2 कुल रकबा 33 बीघा 05 बिस्वा में से ओमप्रकाश को 15 बीघा 05 बिस्वा एवं सोहनलाल को 18 बीघा भूमि अनुसार दी जाकर बटवाड़ा करने कुल 90 बीघा 01 बिस्वा का बंटवाड़ा के आदेश दिये जाते है। काउण्टर क्लैम अनुसार समस्त वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जा कास्त अनुसार कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार बावड़ी को पालनार्थ तहरीर जारी हो।

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलक्टर बावड़ी
जिला जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

निर्णय आज दिनांक 28/10/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमित्रा पारीक)
सहायक कलक्टर बावड़ी
जिला जोधपुर
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:12 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावडी

कमांक/कोर्ट/2020/183 दिनांक 11-11-2020

प्रेषितः— तहसीलदार,
बावडी।

विषयः— माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करने बाबत् ।
मु0 नं0 53/2015 उनवान भंवर लाल बनाम मिश्रीलाल वगैरह
धारा v एक्ट निर्णय दिनांक 28/10/2020
88,53,188 RT Act.

उपरोक्त विषयांन्तर्गत लेख हैं कि इस न्यायालय में विचाराधीन राजस्व प्रकरण संख्या 53/2015 उनवान भंवर लाल बनाम मिश्रीलाल वगैरह धारा :88,53,188 RT Act निर्णय दिनांक 28/10/2020 की निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न भिजवाई जा रही है ।

अतः आप अगर किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो, माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः— निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि।

उपखण्ड अधिकारी
बावडी

उपखण्ड अधिकारी
बावड़ी जिला—जोधपुर

Received by
11/11/2020

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:12 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/2020	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी एवं अधिवक्ता प्रतिवादी दोनों उपस्थित। पत्रावली पर वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते बहस अधिवक्ता प्रतिवादी गण दिनांक 28/10/2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	(वकील वादी)
28/10/2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उभय पक्षो की बहस सुनी गई। निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2021.01.28 13:59:12 IST
Reason: SelfAttested